**Compliance Report on Order of Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 246/2023 (Satya Narayan Singh Versus Forest Department, Firozabad & Ors)**

To
Registrar General
National Green Tribunal
Principal Bench
Faridcot House, Copernicus Marg, New Delhi

Subject: Compliance Report on Order of Hon'ble National Green Tribunal in Original Application No. 246/2023 (Satya Narayan Singh Versus Forest Department, Firozabad & Ors.)

Respected Sir,

In compliance of the Order of Hon'ble National Green tribunal in original application no. 246/2023 (Satya Narayan Singh Versus Forest Department, Firozabad & Ors.), Undersigned has undertaken the visit of site, looked into the grievances of the applicant and verified the factual position. The compliance report is as follows.

Firstly, undersigned has examined the documents of Range office of Firozabad and Divisional Forest office related to the present case. Upon examination it is found that from the same site 02 trees of Neem (Azadirachta indica) were illegally felled on 19/01/2015 by Raj Kishore S/O Bharat Singh and Ram Singh S/O Bharat Singh, Village Alhadadpur, District Firozabad and forest case was booked vide Range case no.06/Firozabad/2014-2015 on 19.01.2015 and action has been taken. The case is under consideration in Hon'ble Chief Judicial Magistrate court, Firozabad. In the meantime, on 13/04/2017 the land ownership was transferred from the family of Raj Kishore S/O Bharat Singh, Village Alhadadpur, District Firozabad to the family of Veenesh Kumar S/O Chandrabhan Singh, village Alhadadpur, District Firozabad and in the sale deed (Bainama), it is clearly mentioned that 13 Neem trees were also present on the land **(Annexure-1)**.

In the present matter on 27/02/2023, Satya Narayan Singh, Village Alhadadpur, District Firozabad gave a complaint to the undersigned. Immediately Range Forest officer, Firozabad was directed for prompt action. Forest officials have found that 03 Neem trees were illegally felled and the stumps of 03 trees were found on the ground. Consequently, the concerned Range Forest Office, Firozabad has booked the prima facie Range case no.16/Firozabad/2022-2023 against Veenesh Kumar S/O Chandrabhan Singh, village Sauramgadhi (Alhadadpur),Matsena, District Firozabad under the violation of Sec 4/10 of Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976 and the

guidelines of the Hon'ble Supreme Court's order dated 08.05.2015 passed in W.P. No.13381/1984 M.C.Mehta Vs Union of India & Ors (**Annexure-2**).

Investigating officer in his report has highlighted that 03 Neem trees were illegally felled on 27/02/2023 by Veenesh Kumar and 09 trees were illegally felled in earlier years. The wood was consumed by Veenesh kumar S/O Chandrabhan Singh in last years without informing the forest department. He has violated the provisions of the Sec 4/10, Sec 4(B) of Uttar Pradesh Tree Protection Act 1976, Section 3/28 of Uttar Pradesh Transit of Timber and Forest Produce Rules,1978 along with the norms and guidelines of the Hon'ble Supreme Court's order dated 08.05.2015 passed in W.P. No. 13381/1984 M.C.Mehta Vs Union of India & Ors. Subsequently, on 20/04/2023 a complaint has been filed before the Hon'ble court of Chief Judicial Magistrate, Firozabad in this matter. The current matter for felling 12 trees is under consideration in the Hon’ble CJM court (**Annexure-3**).

In the compliance of the order the undersigned has heard the grievances of applicant through letter no.3455/35-3 dated 20/04/2023, Office of Divisional director, Social Forestry Division, Firozabad on 21/04/2023(**Annexure-4**). In the statement of the applicant which he has given in his handwriting in front of the undersigned, he has raised the matter of disputed land of Gatta no. 793 and 794 apart from the illegal felling of 14 trees. Applicant has been apprised about the action taken by Forest department on the illegal felling of 14 tress. Applicant has also been informed regarding the disputed land that he should approach Revenue Department, the competent authority to solve the land matter. Regarding the disputed land Sub-Divisional Magistrate, Firozabad has been informed through letter no. 3520/35-3 dated 26/04/2023, Office of Divisional Director, Social Forestry Division, Firozabad (**Annexure-5**).

On 23/04/2023 undersigned has inspected the site of illegal felling, Gatta no.793/794 (**Annexure-6**). On the inspection of site, the Owner of Gatta no. 794, Veenesh kumar S/O Chandrabhan Singh, Village Sauramgadhi (Alhadadpur), Thana Matsena, District Firozabad has appeared and inspection was done regarding the illegal felling by the Veenesh kumar. During inspection 03 stumps of illegally felled trees of Neem were found on the site and no other stump of remaining trees were found on the site. The Veenesh kumar S/O Chandrabhan Singh has given his statement on affidavit (**Annexure-7**). In which he has admitted that 09 trees had got fallen in 2018, 2019, 2020 and 2021 due to waterlogging and storm. The wood of the 09 trees was used by him. It appears that stumps of the 09 trees have been removed by the land owner to hide this illegal felling.

Thus, from the above facts and circumstances it is found that total 14 Neem trees had been illegally felled which is summarised as follows-

(a) 02 Trees had been felled by Sh. Raj Kishore S/O Bharat Singh and Ram Singh S/O Bharat Singh, for which forest case was booked vide Range case no.06/Firozabad/2014-2015 on 19.01.2015.

(b) 09 Trees had been felled illegally by Veenesh kumar S/O Chandrabhan Singh, which he has shown that they have fallen due to waterlogging and storm in earlier years. But as per the Section 4(b) and Section 5 of the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, Veenesh Kumar S/O Chandrabhan Singh should have taken the permission or intimated to Forest Department to dispose the fallen trees. The investigating officer in the Range case no.16/Firozabad/2022-2023 has found that these 09 trees have been illegally felled by Veenesh Kumar S/O Chandrabhan Singh and during site inspection it was found that he had also removed the stumps of these 09 trees to hide the illegal felling.

(c) 03 Trees had been illegally felled by Veenesh Kumar S/O Chandrabhan Singh on 27/02/2023 against which Range case no.16/Firozabad/2022-2023 was booked and stumps were also found on the site.

It is submitted that Forest Department has taken prompt action and violations have been registered under the Uttar Pradesh Tree Protection Act,1976, Uttar Pradesh Transit of Timber and other Forest Produce, Rules 1978 and guidelines of Hon'ble Supreme court's order dated 08.05.2015 passed in W.P No. 13381/1984 M.C.Mehta Vs Union of India & Ors.

It is humbly submitted to Hon'ble National Green Tribunal, Principal bench, New Delhi to kindly consider and take on record the compliance report.

Yours Sincerely

29/04/2023

Vikash Nayak
Divisional Director
Social Forestry Division, Firozabad

1422

Annexure 1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000 Rs. 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 APR 2017 BT 507221 BT 507221

## लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार(कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक/अन्य)........................
2. वार्ड/परगना........................................................................
3. ग्राम/ मौहल्ला....................................................................
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)..........................................
5. मापन की इकाई (हेक्टेअर/ वर्ग मीटर)........................................
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल.......................................हिस्सा.........................
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार)........................................
8. अन्य विवरण (मीटर रोड/ कॉर्नर आदि )........................................

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 APR 2017

BT 507222 BT 507222



9. सम्पत्ति का प्रकार (प्लाट,फ्लैट,मकान,दुकान,कृषि आदि)........................................
10. बहुमंजिला भवन की स्थिति में सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल........................................
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल........................................
12. स्थिति फिनिश्ड/सेमी फिनिश्ड/अन्य........................................
13. पेड़ों का मूल्यांकन........................................
14. बोरिंग/कुआ/अन्य........................................
15. कुल निर्मित क्षेत्रफल........................................
16. निर्माण का वर्ष........................................
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:- हाँ / नहीं ........................................
18. प्रतिफल की धनराशि........................................रुपयों में

1922

3012

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 APR 2017 BT 507028 BT 507028

मो०अ

कृषियोग्य ग्रामीण सम्पत्ति

विक्रेता- रामसिंह आदि

भूमिस्थित -ग्राम अहमदाबादपुर

बिक्री- 250000 रु०

स्टाम्प देय- 18550 रु०

केता- श्रीमती राजकुमारी आदि

क्षेत्रफल-- 0-058 हे० ( कुलभाग)

बा०मू०- 463000 रु०

सर्किल रेट- 4800000 रु० प्रति हे०

( पेज नं० 76 क्रमांक 258 कोड 1188 प्रथम )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH    13 APR 2017    BT 507029

हमकि रामसिंह व राजकिशोर पुत्रगण श्री परतसिंह निवासीगण ग्राम अलहदादपुर तहसील फिरोजाबाद वर्तमान गोविन्द नगर / नगर व जिला मथुरा व श्रीमती विरमा देवी पत्नी श्री राजकिशोर निवासी अलहदादपुर तहसील फिरोजाबाद वर्तमान इन्द्रानगर मौजा रहना तहसील व जिला फिरोजाबाद व श्रीमति ऊषा देवी पत्नी स्व० श्री वंशीधर निवासी ग्राम अलहदादपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद प्रथमपक्ष व श्रीमती राजकुमारी पत्नीश्री विश्वनाथ व श्रीमती गुड्डी देवी पत्नीश्री

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 APR 2017 BT 507030



विमलेश व श्रीमती सन्नू देवीपत्नीश्री वीनेश कुमार निवासीगण ग्राम अल्लहदादपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद द्वितीयपक्ष। यहकि प्रथमपक्ष की भूमि संक्रमणीय भूमिधरी स्थित मौजा अल्लहदादपुर तहसील व जिला फिरोजाबाद में है जिसपर प्रथमपक्ष को पूर्ण स्वामित्व अधिपत्य व अधिकार दर्ज खतौनी व उत्तराधिकार के रुप में प्राप्त है निम्न लिखित भूमि का विक्रय मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये जिसके आधे एक लाख पच्चीस हजार रुपये होते है द्वितीयपक्ष से निश्चित हो गया है अर्थात

राज कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 786565

6800 वरिष्ठ कोषाधिकारी 10 APR 2017 6800 कोषागार, फिरोजाबाद



निम्नलिखित भूमि की विक्री प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को करदी है विक्रय मूल्य का समस्त धन प्रथम पक्ष ने विक्रय पत्रलेखवद्ध के समय प्राप्त किया विक्रय पत्र लेखवद्ध के पश्चात कोई भी विक्रय मूल्य प्रथमपक्ष का द्वितीयपक्ष पर शेष नही रहा है अत: आज दिनांक को निम्न लिखित भूमि द्वितीयपक्ष के पूर्ण स्वामित्व आधिपत्य व अधिकार मे हस्तान्तरित करदी आज से द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह निम्नलिखित विक्रय भूमि से चाहे जैसा लाभ उठावे प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेख से खण्डित कराकर द्वितीयपक्ष अपने -

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP. 786566

10 APR 2017

कोषागार, फिरोजाबाद



नाम का लेखा करा ले जिसमे प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के उत्तराधिकारीगण को कोई भी विरोध नही होगा निम्नलिखित भूमि सुरक्षित है किसी भी प्रकार का ऋण विवाद आदि शेष नही है मुझे पूर्ण स्वामित्व अधिपत्य व अधिकार का दृढता पूर्वक विरोध व्यक्त करता/ करती हूँ व्याज विरोध का दायत्व प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के उत्तराधिकारीगण का होगा। हम स्वस्थ मन चित्त से हैं पूर्ण चेतन अवस्था मे हैं किसी भी प्रकार के मादकपदार्थ का

राजकुमारी

संजू

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 786567

वरिष्ठ कोषाधिकारी
10 APR 2017
6800
कोषागार, फिरोजाबाद

- 6-

सेवन नहीं किया गया है छल कपट तथा प्रमा रहित विक्रय पत्रलेखबद्ध किया गया है राजकीय दर 4800000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से विक्रय भूमि क्षेत्रफल कम होने के कारण 10 प्रतिशत अधिक पर 307000 रुपये व विक्रय भूमि पर खडे 13 पेड नीम का मूल्य 12000 रुपये प्रति पेड के हिसाब से 13 पेडो का मूल्य 156000 रुपये समस्त मूल्यांकन भूमि व 13 पेड नीम का 463000 रुपये से अधिक नहीं है जिसपर 4 प्रतिशत के हिसाबसे पूर्ण रुपेण स्टाम्प चुकता किया गया है। विवरण भू [illegible] भूमिधरी स्थित मौजा [illegible] तहसील व जिला फि[illegible] गाटा

Rodum

[illegible]

राज कुमारी

[illegible]

संजू

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 APR 2017

W 149347



794 रकबा 0-058 हे0 मा0नु0 अनुसार परतारेट का समस्त भाग का विक्रय प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष को करदिया है विक्रयभूमि ग्राम सभा नजूल वसरकारी अस्थान की नही है भूमि का बटवारा नामानही हुआ है तथा हम प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष - अनुसूचितजाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है विक्रय भूमि राष्टीय राजमार्ग से लगभग 20 किलोमीटरदूरहै वर्तमानरेट लिष्ट मे दियेगये किसी भी मुख्यमार्ग व लिंक मार्गपर नही है विक्रय भूमिपर बोरिंग व कुआ नही है 13 पेड नीम के खडे है विक्रय भूमि कृषि भूमि है अतः हमने सोच व समझ कर यहविक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समयपर कामआवे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 APR 2017

BT 507035

-8-

यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि विक्रय भूमि आबादी के

निकट होने के कारण राजकीय दर 1100 रुपये प्रतिवर्गमीटर की

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 149348

13 APR 2017

- ७ -

स्टाम्प जाता किया गया है। अतः हम प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने खूब

राज कुमारी

संजू

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

Rs. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13 APR 2017

W 149349



सो [illegible] व समक्ष करयाकर विक्रयपत्र लिख दिया कि रानवाले और स्थपर काम

आवें। विक्रय भूमि की सीमा पूरब मे ग्रामीण रास्ता व पश्चिम मे

[illegible] स्वामी दयाल की जायदाद व उत्तर मे ग्रामीण रास्ता व दक्षिण

मे आराजी कृष्णा देवी व श्री कुमार की है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs 1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AP 786492

वरिष्ठ कोषाधिकारी 6800 10 APR 2017 0089 कोषागार, फिरोजाबाद

अर्थात 580 वर्ग मीटर पत्थर से विक्रय भूमि पर पूर्ण रुपेण

राज कुमारी

से. 42

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AY 369017

-18-

अतः आजदिनांक 13-4-2017 ई0 विक्रय पत्र की रचना पक्षकारान व गवाहान के कथनानुसार मानसिंह यादव एडवोकेट ने की।

राजकुमारी

संजू

| | |
|---|---|
| गवाह- कैलाश पुत्र श्री रामदास | गवाह- राम किशन पुत्र श्री हाकिमसिंह |
| निवासी ग्राम अलहदादपुर तहसील वजिला फिरोजाबाद। | निवासी ग्राम अलहदादपुर तहसीलवजिला फिरोजाबाद। |

कैलाश

रामकिशन

आज दिनांक 13/04/2017 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 11457

पृष्ठ सं. 149 से 176 पर कमांक 1922

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेशचन्द्र मौर्य

उपनिबन्धक सदर प्रथम

फिरोजाबाद

13/4/2017

Annexure 2

राजिबाद सं. 35 उ॰व॰69/22-23

प्रभागीय वाद सं. 16

रेन्ज केस सं॰ 16 फिरो॰/2022-23

वन विभाग उ0प्र0 परिधि(सर्किल)वृज भूमि क्षेत्र,खण्ड(डिवीजन)....फिरोजाबाद

अन्य अपराध 4/10 उ॰प्र॰ वृक्ष संरक्षण अधि नियम 1976 की धारा प्रसूचना(रिपोर्ट)सं0.................दिनांक 27/2/23 अधिक्षेत्र राजि.................

1. नाम,पिता का नाम और निवास-स्थान (1) वीनेश S/O श्री चन्द्रभान ग्राम- सौरामगढ़ी (अल्हदादपुर) थाना- नारखेना जि॰ फिरोजाबाद

2. साक्षी का नाम श्री शिव लाल (माली) रामलाल

3. कथित-अपराध का पूरा विवरण और दिनांक आज दिनांक 27/2/2023 को गश्त करते समय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई एक ग्राम-सौरामगढ़ी (अल्हदादपुर) में उपरोक्त अभियुक्त द्वारा 3 (तीन) नीम के वृक्षों का कटान किया गया है। गोलाई क्रमशः 180 से॰मी॰, 160 से॰मी॰, 175 से॰मी॰ है।

4. मूल्य

5. चालान और अपुसंधान(इन्वेस्टीगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन

6. प्रसूचना(रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय

आज दिनांक 27/2/2023 को समय लगभग 1:30 P.M बजे गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम- सौरामगढ़ी में नीम के वृक्षों का अवैध कटान हो रहा है। जिसकी सूचना के आधार पर मैं हमराह श्री शिवलाल (माली) के साथ मौके पर पहुँचे तो कुल 03 (तीन) नीम हरे वृक्ष गोलाई क्रमशः 180 से॰मी॰, 160 से॰मी॰, 175 से॰मी॰ के वृक्ष मौके पर कटे पड़े थे। आसपास ग्रामीणों से मालूम करने पर पता चला कि उक्त वृक्ष उपरोक्त अभियुक्त द्वारा लेबर से कटवाये गये हैं। मौके पर मिली लकड़ी को बीरेन्द्र सिंह S/O भगवान सिंह ग्राम- सौरामगढ़ी थाना- नारखेना जिला- फिरोजाबाद की सुपुर्दगी में दी गयी।

अतः उपरोक्त अभियुक्त द्वारा उ॰प्र॰ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 एवं T.T.2 धारा के नियमों का उल्लंघन किया है।

अतः सूचनार्थ एवं श्रीमानजी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सेवा में
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फिरोजाबाद

महोदय
उक्त केस सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

C.C

[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज – फिरोजाबाद

प्रार्थी
[signature]
गोपालसिंह वर्मा
बीट - फॉरेस्ट गार्ड
रेंज - फिरोजाबाद

प्रा॰
27/2/2023

Annexure 3

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, फिरोजाबाद

पत्रांक 3460/35-7 दिनांक, फिरोजाबाद, 20-4-23

सेवा में

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला फिरोजाबाद।

द्वारा:– क्षेत्रीय वन अधिकारी ....फिरोजाबाद........

विषय:– वन अपराध संख्या ....16/फिरोजाबाद/2022-23........ की शिकायत

सन्दर्भ:– ~~भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधन 1965~~ की धारा 4/... उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28. उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 5–26–61ए एवं 63।

महोदय,

इस प्रभाग को वन अपराध संख्या ...16/फिरोजाबाद/2022-23 के निम्नलिखित प्रलेख आपकी सेवा में इस आशय से प्रेषित किये जाते हैं कि सम्बन्धित अभियुक्तों को भारतीय वन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उचित दण्ड दिया जाये।

1. शिकायत पत्र
2. मुक्त एच०टू० केस सं0......16/फिरोजाबाद/2022-23......मय सम्बन्धि रिपोर्ट के
3. जांच रिपोर्ट
4. न्यायालय से अनुपस्थिति रहने हेतु आवेदन पत्र
5. वकालत नामा
6. धारा 4/20 के विज्ञप्ति की सत्यप्रति
7. नजरी नक्शा
8. नोटिस

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार
9- ग्रामवासियों के बयान।
10- ग्राम प्रधान के बयान
11- अभियुक्त के शपथपत्र पर बयान की छायाप्रति।
12- सुपुर्दगीनामा।
13- फर्द बरामदगी।
14- मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति।
15- अभियुक्त के स्वयं के बयान की प्रति।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
फिरोजाबाद

पत्र संख्या:– / दिनांकित

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय वन अधिकारी .......फिरोजाबाद.......... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रलेखों की आज अपने न्यायिक अभिभाक द्वारा जांच करवाकर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी फिरोजाबाद के न्यायालय में तुरन्त प्रेषित करें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फिरोजाबाद

न्यायालय सी० जे० एम० फिरोजाबाद।

Case No- 11402/2023

राज्य / बीनेश

U/S - 4/10 F. Act 1978 मोधारा 3/28

P/S - रेन्ज फि० बाद।

20-4-23 आज क्षेत्रीय वन अधिकारी रेन्ज फिरोजाबाद के यहाँ से अभियुक्त बीनेश S/o चन्द्रभान R/o अलहदाद-पुर थाना मटसेना जिला फिरोजाबाद के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 4/10 F. Act 1978 व धारा 3/28 F. Act में चालानी रिपोर्ट मय अन्य प्रपत्र के प्राप्त हुई। अभि- बीनेश उपरोक्त के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन दिनांक 13-05-23 के लिये जारी हो।

Amitabh

प्रकरण सं० 16/फिरो०/2022-23 की अन्तिम जाँच रिपोर्ट

महोदय,

रेंज केस सं० 16/फिरो०/2022-23 की जाँच मेरे द्वारा मौके पर जाकर की गयी। अभियुक्त विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान निवासी ग्राम - सौरामगढ़ी/अलहदादपुर थाना- मटसैना जिला – फिरोजाबाद ने दिनांक 27/2/2023 को 3 (तीन) नीम के वृक्षों का कटान करने पर श्री गोपाल सिंह (वन रक्षक) बीट प्रभारी करौल गरिमा के द्वारा उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत रेंज केस जारी किया, जिसकी जाँच क्षेत्रीय वन अधिकारी, फिरोजाबाद के द्वारा मुझे मोहित यादव (वनदरोगा) सेक्सन प्रभारी जलालपुर को सौंपी गयी।

दिनांक 27/2/2023 को शिकायतकर्ता श्री सत्यनारायन निवासी सौरामगढ़ी के द्वारा उक्त 3 (तीन) नीम के वृक्षों के अवैध कटान में की गयी शिकायत व उसके उपरान्त बीट प्रभारी द्वारा जारी रेंज केस के आधार पर दिनांक 28/2/2023 को मेरे द्वारा श्री गोपाल सिंह (बीटप्रभारी) एवं शिवलाल (माली) के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया कि 3 (तीन) नीम के वृक्ष कटे पाये गये जिनकी गोलाई क्रमशः है, 180 से०मी० 160 से०मी०, 175 से०मी० है। मौके पर मौजूद लकड़ी की फर्द बरामदगी बनायी गयी व उक्त लकड़ी के बोटों को वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी सौरामगढ़ी/अलहदादपुर थाना- मटसैना जिला-फिरोजाबाद की सुपुर्दगी में दी गयी इसके उपरान्त 15/3/2023 को मेरे द्वारा अभियुक्त विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान निवासी सौरामगढ़ी/अलहदादपुर को विभागीय नोटिस जारी करते हुए दिनांक 20/3/2023 को बचाव पक्ष में उपस्थित होने हेतु निर्गत किया गया। दिनांक 20/3/2023 को अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ।

अभियुक्त उपस्थित नहीं होने पर मेरे द्वारा अभियुक्त के गाँव जाकर अभियुक्त विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि गाटा सं० 794 की भूमि जिसको अभियुक्त के द्वारा क्रय किया गया था तब इस प्लाट में 13 (तेरह) नीम के वृक्ष खड़े थे, बैनामा कराने के बाद इनके द्वारा 9 (नौ) वृक्ष धीरे-धीरे नष्ट कर दिये गये जिसको इनके द्वारा अपने निजी उपयोग में लिया गया। जो उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 3/20 व मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08/05/2018 का उल्लंघन किया गया है।

PTO

3 (तीन) वृक्ष जो दिनांक 27/3/2023 को विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान के द्वारा ही काटे गये हैं जिसमें इन्होंने शपथपत्र देते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान ने पूर्व में 9 (नौ) व दिनांक 27/2/2023 को 3 (तीन) नीम के वृक्षों का अवैध पातन करके मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08/05/2015 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्श एवं वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 व उ०प्र० अभिवहन नियमावली 1978 की धारा 3/28 का उल्लंघन किया है एवं इन धाराओं के अन्तर्गत विनेश पुत्र श्री चन्द्रभान निवासी लोरामगढ़ी/अलहदादपुर दोषी पाये गये हैं

अतः उक्त केस को मा० न्यायालय में प्रेषित करने हेतु अपेक्षित है।

संलग्नक – 1 विभागीय केस की प्रति।
2 – अभियुक्त के शपथपत्र पर बयान।
3 – मौके का नजरी नक्शा।
4 – विभागीय नोटिस की प्रति।
5 – ग्रामीणों के बयान।
6 – ग्राम प्रधान के बयान।
7 – प्लाट के बैनामा की प्रति।
8 – मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति।
9 – सुपुर्दगीनामा
10 – फर्द करामदगी

भवदीय
(signature)
(मोहित यादव)
(जांच अधिकारी)
सेक्शन प्रभारी
जलालपुर

सेवा में,
प्रभागीय निदेशक
सा०वा० प्रभाग
फिरोजाबाद

रेंज केस सं० 16/फिरो/2022-23 की अन्तिम जॉच रिपोर्ट श्री मोहित यादव वनदरोगा की संतुति के आधार पर केस को न्यायालय भेजने की संतुति की जाती है।

C.C

(signature)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज – फिरोजाबाद

प्रा० (signature) 19/4/23

Annexure 4

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फीरोजाबाद

विषय - माननीय एन.जी.टी. नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 246/2023 सत्य नारायण सिंह बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेंट फीरोजाबाद एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 27/03/23 के सम्बन्ध में।

महोदय -

आपके पत्रांक संख्या 2455/35-3 दिनांक 20 अप्रैल 2023 के सन्दर्भ में कार्यालय में मुझे 21/04/23 को जाँच में सहयोग प्रदान करने हेतु मय साक्ष्य उपस्थित होने के लिये कहा गया आज दिनांक 21/04/23 को कार्यालय परिसर में D.F.O. साहब ने ग्राम पंचायत अलहदादपुर में 14 हरे नीम के पेड़ काटे गये है उनके सम्बन्ध में वार्तालाप किया। मैंने साहब को बताया कि गाटा संख्या 794 निजी जमीन एवं गाटा संख्या 793 सरकारी जमीन दोनों पर कुल 16 पेड़ खड़े हुये थे इनमें से निजी जमीन के दो पेड़ पूर्व में राजकिशोर आदि ने काट लिये थे जिसकी पूर्व में वन विभाग में शिकायत भी की थी। गाटा संख्या 794 को राज किशोर आदि ने अपनी जमीन बिमल कुमार, विश्वनाथ व दिनेश को बेच दी जिसमें 13 पेड़ों को बैनामा में दर्शाया गया है वर्तमान में दिनेश पुत्रगण चन्द्रभान बिमलेश, विश्वनाथ पुत्र चन्द्रभान ने सरकारी जमीन गाटा संख्या 793 में खड़े 6 पेड़ एवं शेष पेड़ गाटा संख्या 794 में खड़े थे उनको अवैध रूप से दिनांक 25/02/23 में कटवा दिया जिनके सभी साक्ष्य, विडियो ग्राफी (पेड़ों की) कटे हुये पेड़ों की विडियो ग्राफी एवं वन कर्मियों के द्वारा से की गयी बात की काल रिकोर्डिंग मेरे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है।

गाटा संख्या 793 पर धारा 67; (1) की कार्यवाही के भी साक्ष्य उपलब्ध है रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। सत्यनारायण

21/04/23

Annexure 5

# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

पत्रांक 3520 / 35-3 दिनांक : फिरोजाबाद : अप्रैल 26 2023

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

विषय– ग्राम सभा अलहदादपुर, थाना मटसैना जिला फिरोजाबाद के गाटा सं0– 793 व 794 की भूमि के सम्बन्ध में।

संदर्भ– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ की पत्र सं0–955/32–5–15 दिनांक 20.04.2023 जो मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा सतर्कता एवं एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी पत्र ।

श्री सत्यनारायण सिंह नि0 ग्राम व पोस्ट अलहदादपुर जिला फिरोजाबाद ने मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई है कि ग्राम सभा अलहदादपुर की गाटा सं0– 793 व 794 में सरकारी जमीन पर 14 नीम के हरे पेड़ खड़े थे जिनको अभियुक्तों द्वारा धीरे–धीरे काट लिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आप अपने स्तर से जांच कराकर उक्त गाटाओं की स्थिति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह अवगत कराने का कष्ट करें कि गाटा सं0– 793 व 794 पर किस–किस का स्वामित्व है। जिससे उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

(विकास नायक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फिरोजाबाद।

oll

Store letter 2023

Annexure 6

**Site inspection of Gata no. 793/794 on 23/04/2023 under direction of Hon'ble National Green Tribunal, Original Application No.246/2023 (Satya Narayan Singh Vs Forest Department, Firozabad & Ors)**

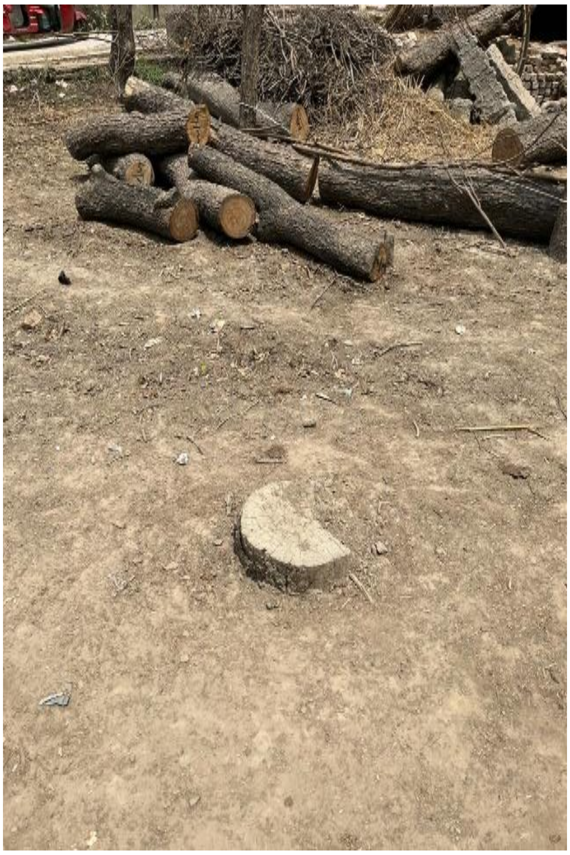

Annexure 7

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये 10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

82AE 022215

समक्षः

श्रीमान् प्रभागीय निदेशक महोदय,
सामाजिक वानिकी प्रभाग फिरोजाबाद।

शपथपत्र मिनजानिब वीनेश कुमार पुत्र श्री चन्द्रभानसिंह निवासी ग्राम अलहदादपुर (सौरामगढी तहसील व जिला फिरोजाबाद उम्र करीब 37 साल ।

श्रीमान जी,

शपथाकर्ता शपथापूर्वक निम्नलिखित बयान करता है कि:-

1- यह कि शपथाकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है तथा नाम एवं पता सही है।

2- यह कि मुझ शपथाकर्ता द्वारा ग्राम अलहदादपुर (गढी सौराम) तहसील व जिला फिरोजाबाद में एक जमीन दिनांक- 13-04-2017 को खारीदी थी जिसका खाता नं0794 है उसमें 13 नीम के पेड वृद्ध खाडे थे जिनका भी बैनामा मेरे द्वारा करा लिया गया था बैनामा कराने के उपरान्त पेडों की उम्र अधिक होने के कारण और जल भराव के कारण पेडों की जडें और टहनिया काफी कमजोर हो चुकी थी । जल भराव व आंधी तूफान से विगम वर्षो में कुल 9 पेड नष्ट हुए जिन्हे मेरे द्वारा उपयोग कर लिया है जिनका विवरण क्रमशः निम्न प्रकार है अप्रेल 2018 में 2 पेड तथा जून 2019 में 2 पेड व मुई 2020 में 3 पेड एवं जुलाई 2021 में 2 पेड गिर गये जिसमें एक पेड के द्वारा मेरे पशुओं के चोटें भी आयी हैं उसमें तीन पेडों की स्थिति अधिक जर्जर व छायाविहीन होने के कारण किसी अनहोनी की आशंका से और मजबूरी वश दिनांक- 27-02-2023 को काट लिए गये हैं चूंकि मुझे इस विषाय में कोई जानकारी नहीं थी कि पेड काटना अपराध की श्रेणी में आता है न ही ऐसा मामला पहले मैने कहीं देखा और सुना था इसलिए जानकारी के अभाव में मेरे द्वारा पेडों को काट लिया गया है । एक पेड मौके पर मौजूद ही जिसकी स्थिति ठीक थी तीन पेड जो काटे गये हैं उनकी लडकी मौके पर ही पडीहै

NOTARY S.★ GOVT. OF INDIA
Nama Shyam Sunder
Sony Adv.
Area Distt. Firozabad
Regn. No. 4890/07

वीनेश कुमार

--2

/2/

जो कि विभागीय लोगों द्वारा वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री भागवानसिंह की सुपुर्दगी में है

3- यह कि शपथकर्ता उपरोक्त के सम्बन्ध में यह शपथपत्र दे रहा है।

शपथकर्ता के उपरोक्त कथन सत्य व सही हैं सत्यापन आज व दिनांक- 25-04-2023 ई0 व मुकाम फिरोजाबाद किया गया ।

शपथकर्ता उपरोक्त

S.No..........Dated.....25/04/23.....
Shri..........................................
Identified by Shri..........................
Solemnly Affirm Consents There
before me at..........In my office
Received Rupees..........as my fee

Shyam Sunder Sony Advocate
NOTARY FIROZABAD

NOTARY
GOVT. OF INDIA
Name Shyam Sunder Sony Adv.
Area Distt. Firozabad